नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी समिति

जल संसाधन मंत्राालय ने दिसम्बर २००४ में नदियों को जोड़ने के संबंध में पर्यावरण विदों, समाज विज्ञानियों और अन्य विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है । नदियों के अंतर्योजन की कार्यवाहियों की प्रक्रिया को पूर्णतयः परामर्शी बनाने के उद्देश्य से इस समिति का निम्नलिखित संरचना तथा संदर्भ की शर्तो के साथ गठन किया गया :-

संरचना (संशोधित) :-

१.	सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।	अध्यक्ष
२.	सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली ।	सदस्य
३.	सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।	सदस्य
४.	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली ।	सदस्य
५.	श्री जेड़+. हसन, पूर्व सचिव (जल संसाधन), भारत सरकार, नौए□ा ।	सदस्य

६.	श्री ए.सी. कामराज, अध्यक्ष, एन. ए. □ब्ल्यू. ए. □ी. परिषद, मदुरै, तमिलना□ ।	सदस्य
७.	श्री पी.सेन., सदस्य, (सेवानिवृत्त), केन्द्रीय जल आयोग, कोलकता, पश्चिम बंगाल।	सदस्य
८.	श्री राजेन्द्र सिंह, प्रसिद्ध समाज विज्ञानी,अलवर, राजस्थान ।	सदस्य
९.	□ा.माला कपूर शंकरदास, अध्यक्ष विकास कल्याण एवं अनुसंधान स्थापना (Foundation) नई दिल्ली ।	सदस्य
१०.	□ा. अशोक खोसला, अध्यक्ष, □बलपमेंट अल्टरनेटिव्स (Development Alternatives) नई दिल्ली ।	सदस्य
११.	प्रो.एम.एन.मध्यस्था, पर्यावरणवादी, पारिस्थितिक एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, मंगलूर विश्वविद्यालय, कर्नाटक ।	सदस्य

१२.	□ा. विजय परांजये, अध्यक्ष गोमुख एवं गंगोत्री ट्रस्ट, पूणे	सदस्य

१३.	श्री हिमाशु ठक्कर, कोर्डी नेटर, जल नीति केन्द्र, नई दिल्ली	सदस्य
१४.	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली ।	सदस्य-सचिव
	विशेष आमंत्रित व्यक्ति :-	
१.	अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।	
२.	आयुक्त (परियोजना), जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।	

<u>विचारार्थ विषय (संशोधित)</u> :-

यह समिति सरकार को प्रस्तावित परियोजना के निम्नलिखित पहलुओं पर सलाह देगी :-

- विस्तृत परियोजना रिर्पोट तैयार करने के लिए कार्यबल द्वारा तैयार किये गये विचारार्थ विषय (टीओआर) के अंतर्गत आने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक- आर्थिक मुद्दे ;
- राष्ट्रीय पुनः स्थापना एवं पुनर्वास नीति को ध्यान में रखते हुए नदियों के अंतर्योजन कार्यक्रम से प्रभावित लोगों के लिए

पुनवार्स एवं पुनःस्थापना योजना तथा इसके क्रियान्वयन के लिये अभिकरण की संरचना ;

- नदियों के अंतर्योजन कार्यक्रम में शामिल अन्य मुद्दों का पता लगाने के लिए अतिरिक्त अध्ययन करने की आवश्यकता ;
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय स्थापनाओं, व्यवसायों तथा अन्य सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों पर प्रस्तावित अंतर-बेसिन जल अंतरण लिंक का प्रभाव ;
- विभिन्न विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय विशेष कर जल कमी वाले बेसिनों में अंतरित जल के ईष्टतम उपयोग के लिए समुचित उपायों को अपनाना ;
- विस्तृत परियोजना रिपोर्टें बनाते समय अन्तःराज्यीय लिंक प्रस्तावों के प्रभावों के अध्ययन को शामिल करते हुये उपरोक्त सभी मुद्दों/पहलुओं पर विचार करना।

समिति की अभी तक कुल सात बैंठकें हुई हैं ।